प्रेस नोट–जनपद बिजनौर   दिनॉक 22.01.2025

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में थाना नगीना पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 29.08.2018 को वादी श्री जसराम पुत्र श्री मूलचन्द निवासी मौ0 तकियासराय कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.महेन्द्र पुत्र गोविन्द 2.मिथलेश पत्नी गोविन्द 3.गुड्डो पत्नी विनोद 4.विनोद पुत्र चतरपाल ने वादी की पुत्री के साथ लोहे की रोड आदि से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। जिस संबंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 284/18 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 22.01.2025 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्त महेन्द्र पुत्र गोविन्द निवासी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को **आजीवन कारावास** व **40 हजार रूपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः–

महेन्द्र पुत्र गोविन्द निवासी कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना कोतवाली शहर दिनॉक 22.01.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 49/24 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 21.01.2025 को वादिनी श्रीमती सन्धया पत्नी विजयपाल निवासी ग्राम गांवडी बुजुर्ग थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.डालचन्द पुत्र अतर सिंह 2.यसमीत पुत्र जयपाल निवासीगण ग्राम गांवडी बुजुर्ग थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने एक राय होकर वादिनी के पति विजयपाल सिंह के सिर पर पाठल व चाकू से वार कर हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 49/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 22.01.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 49/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त डालचन्द पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम गांवडी बुजुर्ग थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल पाठल को बरामद किया गया। शेष अभियुक्त यसमीत उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

डालचन्द पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम गांवडी बुजुर्ग थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण–

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल पाठल

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त डालचन्द से पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि दिनांक 21.01.2025 को डालचन्द अपने भतीजे यशमीत के साथ अपने खेत पर जा रहा था। इसी दौरान डालचन्द की विजयपाल से गाली गलौच व कहासुनी हो गयी। डालचन्द ने पाठल से व यसमीत ने चाकू से विजयपाल के सिर व चेहरे पर वार कर उसकी हत्या कर दी और हत्या में प्रयुक्त पाठल को नहर पुलिया से थोडा आगे झाडियों में छिपा दिया।

आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0 662/2005 धारा 129/177/146/191 भादवि थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

2.मु0अ0स0 1110/2006 धारा 452/323/320/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

3.मु0अ0स0 2069/2008 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

4.मु0अ0स0 1210/2009 धारा 10 गुण्डा अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

5.मु0अ0स0 1388/2009 धारा 25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

6.मु0अ0स0 216/2010 धारा 323/324/452/504/506/427 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

7.मु0अ0स0 319/2012 धारा 323/342 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

8.मु0अ0स0 1252/2014 धारा 420/467/468/471/120 बी भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

9.मु0अ0स0 359/2016 धारा 25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

10.मु0अ0स0 75/2019 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

11.मु0अ0स0 049/2025 धारा 103(1)/3(5) भारतीय न्याय सहिता 2023 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1– प्रभारी निरीक्षक उदयप्रताप थाना को0शहर जनपद बिजनौर

2–उ0नि0 तेजवीर सिंह थाना को0शहर जनपद बिजनौर

3–उ0नि0 विरेन्द्र सिंह थाना को0शहर जनपद बिजनौर

4–उ0नि0 शिवम सक्सैना थाना को0शहर जनपद बिजनौर

5–का0 1738 रविन्द्र कुमार थाना को0शहर जनपद बिजनौर

6–हे0का0 334 प्रवेन्द्र थाना को0शहर जनपद बिजनौर

7–म0का0 1068 सरिता थाना को0शहर जनपद बिजनौर

8–आरक्षी चालक नरेश तोमर थाना को0शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद **दिनांक – 22.01.2025**

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 24/25 धारा 191(2)/190/103(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को आलाकत्ल लकडी का डन्डा, एक लोहे की दरांती आदि सहित किया गिरफ्तार, साथी बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.01.2025 को थाना नगीना देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नयागांव निवासी रामचंद्र पुत्र हरकेश के गन्ने के खेत में जुल्फुकार अहमद पुत्र जमीर निवासी ग्राम मौ0 अलीपुरा अलमुद्दीन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर का शव मिला था। शव को पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतक के पुत्र मौ0 रजा ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि उसके गांव के ही रहने वाले अभियुक्तगण 1.जाफर पुत्र जमीर अहमद, 2.सुहेल पुत्र जाफर, 3.फरहाना पुत्री जाफर व 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके पिताजी जुल्फुकार अहमद की हत्या कर देने के संबंध मे थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 24/2025 धारा 191(2)/190/103(1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 22.01.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 24/25 धारा 191(2)/190/103(1) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त जाफर पुत्र जमीर अहमद निवासी ग्राम मौ0 अलीपुरा अलमुद्दीन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा साथी बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया, जिनकी निशांदेही पर आलाकत्ल लकडी का डन्डा, एक लोहे की दरांती एवं घटना मे प्रयुक्त लकडी का एक अन्य डन्डा तथा घटना के दौरान अभियुक्त जाफर द्वारा पहने गए कपडे बरामद किये गए। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण

घटना के सम्बन्ध में अभियुक्त जाफर ने पूछताछ पर बताया कि उसने अपने तथा अपने बडे भाई जुल्फकार अहमद (मृतक) की खेतो की मेढ पर लगभग 17 साल पहले पोपलर व यूकेलिप्टिस के लगभग 70 पेड लगाये थे। पैसो की जरूरत के चलते अभियुक्त जाफर उक्त पेडो को काटकर बेचना चाहता था, लेकिन उसका बडा भाई जुल्फकार अहमद इन पेडो को अपना बताता था और इसी बात को लेकर दोनो भाईयों मे विवाद चल रहा था। दिनांक 18.01.2025 को अभियुक्त जाफर व उसका बेटा (बाल अपचारी उपरोक्त) अपने

खेत से 05 पोपलर के पेड काटकर अपनी ट्रेक्टर ट्राली मे रख रहे थे उसी दौरान जुल्फकार अहमद अपने हाथ मे गन्ने छीलने की दरांती लेकर वहां आया और पेड काटने से मना करने लगा। इसी बात को लेकर दोनो मे कहासुनी व मारपीट हो गई, मारपीट के दौरान अभियुक्त जाफर ने पोपलर के कटे हुए डण्डे से जुल्फकार के सिर व शरीर पर वार किया तथा अभियुक्त के बेटे ने जुल्फकार से उसकी दरांती छीनकर जुल्फुकार पर कई वार कर दिये, जिससे मौके पर ही जुल्फकार की मृत्यु हो गई थी। अभियुक्त जाफर व उसके बेटे ने उक्त लक्डी का डण्डा व दराती वहीं पर अपने ईख के खेत मे छिपा दिये तथा मृतक जुल्फकार के शव को लकडी के डन्डे पर बांधकर ग्राम अजुपुरा रानी उर्फ नया गांव के जंगल मे एक ईख के खेत मे रख दिया था और शव के ऊपर गन्ने की पतेल डालकर उसे छिपा दिया तथा लकडी के उक्त डण्डे को बराबर वाले गन्ने के खेत के अन्दर छिपा दिया था खून से सने हुए कपडो को भी अपने खेत के पास के ईख के खेत मे छिपा दिया था जिसके उपरान्त वह व उसका बेटा (बालअपचारी उपरोक्त) वहां से भाग गए।

अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. जाफर पुत्र जमीर अहमद निवासी ग्राम मौ0 अलीपुरा अलमुद्दीन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2. एक साथी बालअपचारी

बरामदगी विवरण-

आलाकत्ल लकडी का एक डन्डा, एक लोहे की दरांती एवं घटना मे प्रयुक्त लकडी का एक अन्य डन्डा व अभियुक्त जाफर द्वारा घटना के दौरान पहने हुए कपडे।

अभियुक्त जाफर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0-24/2025 धारा-191(2)/190/103(1) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0स0-385/2024 धारा-323/504/506/325 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0स0-631/24 धारा-323/325/308/352/452 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरी0 जयभगवान सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2. व0उ0नि0 श्री ईलम सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3. उ0नि0 श्री सुभाषचन्द राणा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
4. हे0का0 497 भारत मलिक थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
5. का0 62 अंकित कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर दिनांक – 22.01.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 31/25 धारा 103(1)/109(1)/3(5) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 16.01.2025 को वादी श्री दीपक कुमार पुत्र श्री डालचन्द्र निवासी ग्राम गावडी बुजुर्ग थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 15/16.01.2025 की रात्रि में गांव में ही जागरण कार्यक्रम में था। जागरण में वादी का ताऊ का लडका रोहित उर्फ रिंकु पुत्र रोहताश भी गया था कि रात्रि में जागरण में वादी के ताऊ के लडके की 1.बलराम पुत्र छंगा 2.देशराज पुत्र बलराम 3.विष्णु पुत्र कृपाल निवासीगण ग्राम गावडी बुजुर्ग थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 4.रमेश पुत्र जगपाल निवासी ग्राम बमनौली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के साथ गाली-गलौच व कहासुनी हो गयी। इसी दौरान अभियुक्तों ने रोहित के ऊपर जान से मारने की नियत से फावड़े एवं लोहे की रॉड से वार किया, जिससे रोहित (रिंकु) गम्भीर रुप से घायल हो गया, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 31/25 धारा 103(1)/109(1)/3(5) बीएनएस बनाम बलराम आदि कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 22.01.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रमेश पुत्र जगपाल निवासी ग्राम बमनौली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

नोट- दिनांक 16.01.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण 1.विष्णु पुत्र कृपाल 2.बलराम पुत्र छंगा को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. रमेश पुत्र जगपाल निवासी ग्राम बमनौली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.श्री उदयप्रताप, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.उ0नि0 शिवम सक्सैना थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

3. आरक्षी 1738 रविन्द्र कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

4.आरक्षी 2550 हरीशचन्दन थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना **दिनांक – 22.01.2025**

थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 10/2025 धारा 137(2)/64 बीएनएस व धारा 3/4/5(ञ)(2)/6 पॉक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.01.2025 को वादी ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि अभियुक्त हर्ष पुत्र रोहताश निवासी ग्राम सादपुरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 10/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 64 बीएनएस व धारा 3/4/5(ञ)(2)/6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

कार्यवाही –

आज दिनांक 22.01.2025 को थाना नगीना पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 10/25 धारा 137(2)/64 बीएनएस व धारा 3/4/5(ञ)(2)/6 पॉक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त हर्ष उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.हर्ष पुत्र रोहताश निवासी ग्राम सादपुरी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिह उज्जवल थाना नगीना बिजनौर।

2.कां0 1342 गौरव कुमार थाना नगीना बिजनौर।

3.का0 1834 सचिन कुमार थाना नगीना बिजनौर।